भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2585
04/08/2026 को उत्तर के लिए

सुंदरबन में छोटे मछुआरे

2585. श्री बापी हलदर :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन में हानिकारक बॉटम ट्रॉलिंग में संलग्न बड़े औद्योगिक ट्रॉलरों के परिचालन के कारण छोटे मछुआरों को आजीविका की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता, मछली भंडार और पारंपरिक मछुआरा समुदायों की आजीविका पर ऐसी पद्धतियों के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा मछली पकड़ने की हानिकारक पद्धतियों को विनियमित करने, निगरानी को सुदृढ़ करने और सुंदरबन और समीप-वर्ती तटीय जल में संधारणीय मछली पकड़ना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार के पास पश्चिमी बंगाल के मथुरापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पारंपरिक और छोटे स्तर के मछुआरों के लिए विशेष सहायता या संरक्षण उपाय प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): क्षेत्रीय जल क्षेत्र (बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक) के भीतर समुद्री मात्स्यिकी को संबंधित तटीय राज्यों द्वारा उनके समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों (MFRAs) के अनुसार विनियमित किया जाता है। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में, MFRAs पारंपरिक रूप से लघु पैमाने के और पारंपरिक मछुआरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तटीय क्षेत्रों में सभी यंत्रीकृत मत्स्यन जहाजों के संचालन को विनियमित करते हैं। पश्चिम बंगाल समुद्री मत्स्यन विनियमन नियम, 1995 के तहत, पोत की क्षमता के आधार पर परिचालन क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है, और 30 HP से अधिक के यंत्रीकृत जहाजों को ज़ोन 'क' (तटरेखा से 15 किमी तक) के भीतर संचालित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जो विशेष रूप से पारंपरिक और लघु पैमाने के मछुआरों के लिए आरक्षित है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में, भारत सरकार हानिकारक मत्स्यन प्रथाओं पर अंकुश लगाने और संधारणीय मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के संरक्षण और प्रबंधन उपाय कर रही है। इनमें पेयर्ड/बुल ट्रॉलिंग और मत्स्यन में LED लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है, और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू करने की सलाह दी गई है। मछली स्टॉक के पुनरुत्पादन को सहायता प्रदान करने के लिए EEZ में मानसून के दौरान वार्षिक रूप से एकसमान 61 दिनों का मत्स्यन प्रतिबंध

लगाया जाता है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 'पोत संचार और सहायता प्रणाली' (VCSS) के राष्ट्रीय रोलआउट के माध्यम से मत्स्यन गतिविधियों और जहाजों की सुरक्षा की निगरानी को सुदृढ किया गया है, जिसमें ट्रांसपोंडर लगाना और नभमित्र एप्लिकेशन का उपयोग शामिल है। PMMSY के तहत, भारत सरकार समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए झींगा ट्रॉल करने में 'टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस' (TEDs) लगाने में भी सहायता प्रदान कर रही है। मछुआरों, विशेष रूप से लघु पैमाने के मछुआरों के लाभ के लिए तटीय मत्स्य स्टॉकों को बढ़ाने हेतु पीएमएमएसवाय के अंतर्गत साथ तटीय क्षेत्रों में सी रेंचिंग और आर्टिफिशियल रीफ्स स्थापित करने को सहायता प्रदान की जा रही है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का कार्यान्वयन कर रहा है। PMMSY के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के 546.38 करोड़ रुपए के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 223.25 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। इस स्वीकृति में अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक जहाजों का उन्नयन और रूपांतरण, तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए सहायता शामिल है। मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पारंपरिक और लघु पैमाने के मछुआरे इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पारंपरिक मछुआरों सहित अन्य मछुआरों को सुरक्षित और स्वच्छ अवतरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना में पेटुआघाट, शंकरपुर, फ्रेजरगंज और काकद्वीप में स्थित मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और उन्नयन को भी 65.65 करोड़ रुपए के निवेश से मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, निकट-तटीय मात्स्यिकी पर दबाव कम करने के लिए समुद्री कृषि, समुद्री शैवाल कृषि और खुले समुद्र में केज कल्चर जैसे वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने सूचित किया है कि उसके अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों ने सुंदरबन सहित पश्चिम बंगाल के मत्स्य किसानों और मछुआरों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया है, जिसमें मीठे पानी की जलकृषि, खारे पानी की जलकृषि, खुले जल निकायों में पेन और केज कल्चर, तथा समुद्री मात्स्यिकी मूल्यांकन और प्रबंधन शामिल हैं। ये संस्थान सुंदरबन सहित राज्य में सीमांत मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) और जनजातीय उप-योजना (TSP) सहित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहे हैं।
